"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 443] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2017 —— आश्विन 17, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ-10-78/2017/वाक/पांच(134). - छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 27/2017- राज्य कर क्रमांक एफ-10-68-2017/वाक/पांच/(118), तारीख 30 अगस्त, 2017, जो छत्तीगसढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 396 में, तारीख 5 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित हुआ है, का शुद्धिपत्र ।

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	पंक्ति सं.	के स्थान पर	पढ़ें
1.	792 (1)	11	परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा	परिवहनकर्ता द्वारा
2.	792 (1)	22	अगो	आगे
3.	792 (2)	10	किया जाएगा	किया जाए
4.	792 (2)	29	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध है
5.	"प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1", शब्द जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "प्ररूप जीएसटी आईएनवी-1" पढ़ें ।			
6.	792 (13)	24	पहचान प्रवाचक	पहचान युक्ति प्रवाचक
7.	792 (13)	24	ज्ञानों	यानों
8.	792 (14)	10	दोबार	दोबारा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ-10-78/2017/वाक/पांच(135). - छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसचूना सं. 33/2017- राज्य कर क्रमांक एफ-10-73/2017/वाक/पांच/(124), 15 सितम्बर, 2017 के हिन्दी पाठ पर, खंड (क) में 'पचास प्रतिशत' के स्थान पर 'इक्यावन प्रतिशत' पढ़ा जाए ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.